


04.08.2022:-पत्रावली पेशी मे आई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण पर इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस की तामील की बाबत ए.डी. द्वारा तामील होने बावजूद हाजिर नही आने की सूत्र मे उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करने हेतू निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। फर्द अहकाम पर अप्रार्थीगण के अधिवक्ता के हस्ताक्षण है। अर्थात् अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नही होने की सूत्र मे इस न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.08.2020 को मूल वाद संख्या 189/2020 मांगीलाल बनाम चैतराम के अन्तिम निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर मूलवाद् से साथ सलग्न की जावे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपस्थित कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़

